प्रेस–विज्ञप्ति

जनपद में संचालित बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद के ऐसे ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे इच्छुक लाभार्थियो से जो स्वयं का व्यवसाय या सेवा/उद्योग करना चाहते हो, हेतु आवेदन पत्र(आवेदन पत्र का प्रारूप विकास खण्ड कार्यालय में उपलब्ध है) जमा करने की पूर्व में अंतिम तिथि 30.06.2021 थी जिसको इच्छुक पात्र लाभार्थियों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 15.07.2021 कर दिया गया है। इच्छुक पात्र लाभार्थी दिनांक 15.07.2021 तक सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आवेदन–पत्र अपने विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान किया जाना है व लाभार्थी चयन में प्रथम आवक प्रथम पावक का सिद्वान्त लागू होगा।

योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु 2.00 लाख व सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 5.00 लाख रखी गयी है। योजनान्तर्गत 2.5 लाख से ऊपर वितरित ऋण पर सामान्य लाभार्थियों से 7.5 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग(सभी जाति के)लाभार्थियों से 5 प्रतिशत इकाई लागत का मार्जिन मनी लाभार्थी से जमा कराया जायेगा।

योजना हेतु पात्र लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष की होना चाहिये व उनके परिवार की समस्त श्रोतो से वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परित्यक्ता एवं विधवा महिला को प्राथमिकता दी जायेगी। चयनित लाभार्थियों को प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वीकृत लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 70000.00 व सामान्य जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50000.00 अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की धनराशि ऋण के दुरूपयोग पाये जाने, परिसम्पत्तियों का सृजन न करने, प्रोजेक्ट का कार्य पूरा न करने व इकाई उत्पादन/सेवा संबंधी कार्य नही करने पर देय नही होगी।

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपयुक्त लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि जनपद के प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।

भवदीय

(विकास)
जिला विकास अधिकारी,
हमीरपुर।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी,हमीरपुर।

पत्रसं0 423 /एवीआरवाई/प्रेस–विज्ञप्ति/2021–22/ दिनांक 01 जुलाई2021

प्रतिलिपि– 1– जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को दस प्रतियों में इस आशय से कि कृपया इस विज्ञप्ति को जनपद के प्रमुख समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद–हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें व जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्त विज्ञप्ति नोटिस बोर्ड में प्रचार–प्रसार हेतु चस्पा करायें।

3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा मे अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी,
हमीरपुर।

Scanned with CamScanner

अतिआवश्यक / समयबद्ध

कार्यालय जिला विकास अधिकारी,हमीरपुर।

पत्रसंख्या 546 /ए0वी0आर0वाई / 2021–22 / साक्षात्कार / दिनॉक–16जुलाई,2021

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद–हमीरपुर।

विषय–**बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के वित्तीय वर्ष 2021–22 का साक्षात्कार किए जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया इस कार्यालय के पत्रसं0 423 दिनांक 01.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद में संचालित बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे इच्छुक लाभार्थियों के जो स्वयं का व्यवसाय या सेवा/उद्योग करना चाहते हैं,के आवेदनपत्र दिनांक 15.07.2021 तक अपने विकास खण्ड कार्यालय मे आवेदनपत्र प्रस्तुत करने हेतु आप को सूचित करते हुये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी।

उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.2021 के क्रम में प्राप्त आवेदनपत्र के लाभार्थियों का साक्षात्कार दिनांक 27.07.2021 को प्रातः11.00 बजे विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं कियान्वयन समिति द्वारा लिया जायगा।

अस्तु आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित तिथि 15.07.2021 तक प्राप्त आवेदनपत्रों को मार्गनिदेशिका के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त को अपनाते हुये विकासखण्ड में रक्षित पंजिका में अंकन कराते हुये मानक व निर्धारित शर्तो के अनुसार पूर्ण आवेदनपत्रों की सूची(हार्ड एवं साफ्ट कापी) निम्न प्रारूप पर इस कार्यालय को विलम्बतम दिनांक 21.07.2021 तक प्रेषित कराते हुये उक्त साक्षात्कार की तिथि कों सहायक विकास अधिकारी आईएसवी को समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें व पात्र लाभार्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचित भी करें।

क0सं0	आवेदनकर्ता का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम का नाम	व्यवसाय / सेवा / उद्योग का नाम	ऋण की धनराशि	प्रोजेक्ट की निर्धारित लागत	अनुभव यदि कोई है तो उसका उल्लेख	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(विकास)
जिला विकास अधिकारी
हमीरपुर।

पत्र सं0 /ए0वी0आर0वाई0 / साक्षात्कार / 2021–22 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को दस प्रतियों में इस आशय से कि कृपया इस विज्ञप्ति को जनपद के प्रमुख समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

2. प्रतिलिपि निम्न का इस आशय से कि आप जिला स्तरीय एवं कियान्वयन समिति के सदस्य होने के नाते साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि में उपस्थित होने का कष्ट करें।
 (i)जिला अग्रणी प्रवन्धक,इंडियन वैंक,हमीरपुर।
 (ii)जिला विकास प्रवन्धक, नावार्ड,हमीरपुर।
 (iii)उपायुक्त, उद्योग,हमीरपुर।
 (iv)निदेशक,रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रैनिंग इन्स्टीट्यूट(आरसेटी)हमीरपुर।
 (v)जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,हमीरपुर।
 (vi)जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) हमीरपुर।
 (vii)प्रधानाचार्य, औद्यो0प्रशि0संस्थान,सुमेरपुर/सरीला।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय,हमीरपुर की सेवा में सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी महोदय,हमीरपुर की सेवा में अवलोकनार्थ।
5. आयुक्त महोदय,ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी
हमीरपुर।

Scanned with CamScanner

अतिआवश्यक / समयबद्ध

कार्यालय जिला विकास अधिकारी,हमीरपुर।

पत्रसंख्या /ए0वी0आर0वाई / 2021–22 / साक्षात्कार / दिनॉक– / जुलाई,2021

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद–हमीरपुर।

विषय–**बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के वित्तीय वर्ष 2021–22 का साक्षात्कार किए जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया इस कार्यालय के पत्रसं0 423 दिनांक 01.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद में संचालित बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे इच्छुक लाभार्थियों के जो स्वयं का व्यवसाय या सेवा / उद्योग करना चाहते हैं,के आवेदनपत्र दिनांक 15.07.2021 तक अपने विकास खण्ड कार्यालय मे आवेदनपत्र प्रस्तुत करने हेतु आप को सूचित करते हुये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी।

उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 15.07.2021 के कम में प्राप्त आवेदनपत्र के लाभार्थियों का साक्षात्कार दिनांक 27.07.2021 को प्रातः11.00 बजे विकासभवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा लिया जायगा।

अस्तु आपसे अपेक्षा है कि निर्धारित तिथि 15.07.2021 तक प्राप्त आवेदनपत्रों को मार्गनिदेशिका के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त को अपनाते हुये विकासखण्ड में रक्षित पंजिका में अंकन कराते हुये मानक व निर्धारित शर्तो के अनुसार पूर्ण आवेदनपत्रों की सूची(हार्ड एवं साफ्ट कापी) निम्न प्रारूप पर इस कार्यालय को विलम्बतम दिनांक 21.07.2021 तक प्रेषित कराते हुये उक्त साक्षात्कार की तिथि को सहायक विकास अधिकारी आईएसबी को समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें व पात्र लाभार्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से सूचित भी करें।

क0सं0	आवेदनकर्ता का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम का नाम	व्यवसाय / सेवा / उद्योग का नाम	ऋण की धनराशि	प्रोजेक्ट की निर्धारित लागत	अनुभव यदि कोई है तो उसका उल्लेख	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(विकास)
जिला विकास अधिकारी
हमीरपुर।

पत्र सं0 546 /ए0वी0आर0वाई0 / साक्षात्कार / 2021–22 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी हमीरपुर को दस प्रतियों में इस आशय से कि कृपया इस विज्ञप्ति को जनपद के प्रमुख समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

2. प्रतिलिपि निम्न का इस आशय से कि आप जिला स्तरीय एवं कियान्वयन समिति के सदस्य होने के नाते साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि में उपस्थित होने का कष्ट करें।
 (i)जिला अग्रणी प्रवन्धक,इंडियन बैंक,हमीरपुर।
 (ii)जिला विकास प्रवन्धक, नावार्ड,हमीरपुर।
 (iii)उपायुक्त, उद्योग,हमीरपुर।
 (iv)निदेशक,रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रैनिंग इन्स्टीट्यूट(आरसेटी)हमीरपुर।
 (v)जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,हमीरपुर।
 (vi)जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) हमीरपुर।
 (vii)प्रधानाचार्य, औद्यो0प्रशि0संस्थान,सुमेरपुर/सरीला।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय,हमीरपुर की सेवा में सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी महोदय,हमीरपुर की सेवा में अवलोकनार्थ।
5. आयुक्त महोदय,ग्राम्य विकास,उ0प्र0,लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी
हमीरपुर।

Scanned with CamScanner

संख्या–आर–736/38–6–19–03(एवीआरवाई)/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6, दिनांकः 14 नवम्बर, 2019

विषयः– "बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना" के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत बहुमुखी तथा बहुआयामी योजनाओं के निर्माण के लिये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सतत् रोजगार उपलब्ध हो सके, "दीनदयाल विकास योजना" के नाम से एक विशेष रोजगार योजना का शुभारंभ दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को किया गया था। तत्क्रम में इस योजना का नाम परिवर्तित कर "अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना" के नाम से कार्यान्वित किया जा रहा था।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त "अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना" का नाम परिवर्तित करते हुए "बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना" किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना वर्ष 1991 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अवक्रमित करते हुये "बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना" के कियान्वयन हेतु नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है, जिसका विस्तृत उल्लेख किया जा रहा है।

(1) **बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य–**

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उपलब्ध संसाधनो से ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रोजेक्ट एप्रोच" के आधार पर प्रशिक्षण, उपार्जन, वित्त एवं विपणन इत्यादि महत्वपूर्ण पहलुओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार लाभार्थियों को सभी संस्थागत सेवायें उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित उत्पाद सेवाओं हेतु प्रभावशाली विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराना जिससे कि लाभार्थियों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके।
- ऐसे प्रयासों की ओर ध्यान देना जहाँ कोई और माध्यम से कार्य न हो रहा हो और जिस ओर व्यक्तिगत तौर पर पूंजी निवेश संभव नही है।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन को कम करना।
- ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करना।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

- प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या के दबाव को कम करते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में योजनाएं क्रियान्वित करना।

(2)प्रमुख विशेषताएं

- इसके माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार किसी सीमित अवधि के लिए नहीं होगा बल्कि सतत् रूप से चलता रहेगा।
- इन योजनाओं में शासन सेवायोजक न बनकर प्रेरक की भूमिका निभायेगा।
- यह योजना अलग–अलग क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए चलाई जाएगी और यथासम्भव उस क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा।
- योजनाएं प्रोजेक्ट एप्रोच के आधार पर चलाई जाएगी जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों में उपलब्ध संसाधानों का सामंजस्य करते हुए क्रियान्वित किया जायेगा।
- उपर्युक्त कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियां विकसित होंगी उसकी प्रेरणा एवं सहयोग से अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नये आयाम विकसित होंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि की उन समस्त गतिविधियों को सम्मिलित किया जायेगा जिनसे अधिक आय एवं सतत् रोजगार की संभावना हो।
- **बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना** प्रत्येक वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए है तथापि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप प्रस्तावित परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी न्यूनतम 23 प्रतिशत एवं दिव्यांग लाभार्थियों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज(होरिजेन्टल) अर्थात अनुसूचित जाति/जनजाति में 05 प्रतिशत एवं सामान्य में 05 प्रतिशत लाभार्थी होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग के लाभार्थी उपलब्ध न होने की दशा में या अपवादित मामलों में इस न्यूनतम सीमा के शिथिलीकरण का अधिकार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स को होगा।

(3) लक्षित समूह

1. किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
2. लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निवासी हो ।
3. कोई भी उद्यमशील व्यक्ति जो अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में रूचि रखता हो।
4. **प्रार्थना–पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया:** राज्य सरकार/भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जायेगी। लाभार्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र, सीधे कार्यालय में प्राप्त कराये गये अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित ऋण प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जायेंगे। प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों को विकास खण्ड कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख कर दर्ज किया जायेगा। पहले प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र को पहले तथा बाद में प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र को बाद में क्रमवार/तिथिवार सूचीबद्ध/पंजीकृत किया जायेगा।पहले आवक, पहले पावक के सिद्धान्त पर क्रमवार दर्ज प्रार्थना–पत्रों के आवेदकों को क्रमशः लाभान्वित किया जायेगा। बचे हुए लाभार्थियों के प्रार्थना–पत्र अगले वित्तीय वर्ष में अंगीकार किये जायेंगे।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(4) रणनीति

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं, दक्षता एवं उपलब्धता के आधार पर विभिन्न योजनाओं का चयन करना। चयनित लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार वांछित संसाधन उनके द्वार पर उपलब्ध कराना।
3. योजनाएं प्रोजेक्ट एप्रोच के आधार पर ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर पर यूनिट मानकर क्रियान्वित की जायेगी।
4. योजना के लाभार्थियों के लिए प्रभावशाली विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
5. क्रियान्वित परियोजनाओं से प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्तमान परियोजनाओं में सुधार एवं अनुभव के अनुसार नयी परियोजनाओं की संरचना करना।

(5)आच्छादित गतिविधियाँ

1. ऐसी समस्त आर्थिक गतिविधियां जिससे उत्पादों का अपेक्षित मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।
2. ऐसी समस्त गतिविधियां जो सेवा क्षेत्र (टर्शरी सेक्टर) में गुणात्मक संवर्द्धन प्रदान करें।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त गतिविधियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करें।
4. योजनान्तर्गत उद्योग के साथ ही व्यवसाय, सेवा हेतु भी ऋण/लाभार्थी का चयन किया जायेगा।

(6)सर्वेक्षण

किसी भी योजना को स्वीकृत करने से पूर्व जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा कच्चे माल, दक्षता, संसाधनों की उपलब्धता एवं विपणन की संभावनाएं इत्यादि का सर्वेक्षण कर लिया जायेगा। इसके आधार पर क्षेत्र एवं क्रियाकलापों का निर्धारण करके योजनाओं को प्रोजेक्ट स्वरूप देना होगा। योजना हेतु परियोजना की लागत व्यवसाय क्षेत्र हेतु रूपए 2.00 लाख तथा सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रूपए 5.00 लाख तक रखा जाएगा।

(7) अनुदान

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थी को अनुदान के रूप में प्रति इकाई वितरित ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रू0–70,000/– (जो भी कम हो) एवं सामान्य लाभार्थी को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50,000/–(जो भी कम हो) तक का राज्य सहायता शासकीय अनुदान देय होगा तथा योजना के अन्तर्गत रू0 2.5 लाख से ऊपर वितरित ऋण पर सामान्य लाभार्थियों से 7.5 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग (सभी जाति के) लाभार्थियों से 5 प्रतिशत इकाई लागत का मार्जिन मनी लाभार्थी से जमा कराया जायेगा, जो इकाई या प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। अनुदान की धनराशि राज्य से प्राप्त होने पर ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् जिला विकास अधिकारी द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में डी.बी. टी. प्रक्रिया के अनुसार एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। अनुदान का समायोजन तभी किया जाए जब लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्ति सृजन किये जाने का सत्यापन जिला विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अनुदान की अनुमन्यता:–किसी भी लाभार्थी को इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् अनुदान का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा:–

1– यदि लाभार्थी ने ऋण का दुरुपयोग किया हो।
2 – उपलब्ध कराये गये ऋण से परिसम्पत्ति का सृजन न किया हो।
3– यदि लाभार्थी ने प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं किया और जानबूझकर चूक कर रहा हो।
4– यदि खाता बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो।
5– यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नहीं कर रही हो अथवा बन्द हो।

लाभार्थियों द्वारा परियोजना के बैंक ऋण के भाग का भुगतान रिपेमेन्ट शेड्यूल के अनुसार करना होगा।

(8) लाभार्थियों का चयन :–

1– योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी।
2– कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। ग्रामीण अंचल के दृष्टिकोण से योजना में व्यक्तिगत ऋण आवेदन ही स्वीकार किये जायेगें।
3– योजना हेतु उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा, जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो।
4– लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम व पारदर्शी बनाये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
5– जब तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रदेश व जिला स्तर पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती तब तक आवेदकों के आवेदन पत्र हार्ड कॉपी में व्यक्तिगत रूप से तथा पंजीकृत डाक से प्राप्त किये जा सकते है।
6– प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा परित्यक्ता एवं विधवा महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।
7– आवेदन की हार्ड कॉपी संलग्नक सहित संबंधित ब्लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी।
8– आवेदन प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से पूर्व आवेदक को स्वयं अपने आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विकास खण्ड मे जमा कराते हुये खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी।
9– प्राप्ति रसीद जारीकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, दिनॉक व मुहर सुस्पष्ट अंकित होगी। आवेदन फार्म एवं प्राप्ति रसीद का मॉडल प्रारूप आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्धारित कर जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।
10– आन लाईन आवेदन की प्रक्रिया हेतु ग्राम विकास विभाग की विभागीय बेवसाईड rd.up.nic.in पर प्रस्तावित योजना हेतु प्रदत्त कॉलम/लिंक में आवश्यक संशोधन कर एन0आई0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
11– यदि ब्लाक पर आवेदकों की लक्षित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो विकास खण्ड हेतु लक्षित संख्या से अधिकतम चार गुना आवेदकों को जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत कराया जायेगा।
12– आवेदकों के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने के लिए बिन्दु संख्या–11 में प्रदत्त चार गुना आवेदनों के लिए विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आवेदन स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी। जिसमें संबंधित विकास

Scanned with CamScanner

खण्ड के ए.डी.ओ. (आई.एस.वी) तथा ए.डी.ओ.सांख्यिकीय (सहायक सांख्यिकीय अधिकारी) सदस्य के रूप में नामित रहेगें।

13– यह स्क्रीनिंग कमेटी प्रस्तावित योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करते समय आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं में प्राप्त प्रशिक्षण (जैसे–यू0पी0 एस0डी0एम0 / डी0डी0यू0जी0के0वाई0, आदि), अनुभव तथा वरिष्ठ आयु के आधार पर आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।स्क्रीनिंग कमेटी केवल अनियोजित आवेदकों के (स्वप्रमाणन के आधार पर) आवेदनों पर साक्षात्कर हेतु विचार करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कृत कार्यवाही से पीड़ित/क्षुब्ध व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के सम्मुख अपनी आपत्ति हेतु आवेदन कर सकता है। जिस पर स्क्रीनिंग कमेटी साक्षात्कार के दिनांक से एवः सप्ताह पूर्व अपना अन्तिम निर्णय लेगी। इस निर्णय से क्षुब्ध आवेदक द्वारा जिला विकास अधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, जिला विकास अधिकारी साक्षात्कार की दिनांक से पूर्व उभय पक्षों को सुनते हुए अपील का मेरिट के आधार पर निर्धारण करेगें। यदि अपीलार्थी के पक्ष मे निर्णय किया जाता है तो उस अपीलार्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

14– ऑनलाईन आवेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था हेतु सभी जनपदों में डी0डी0ओ0 तथा वी0डी0ओ0 स्तर पर यूजर आईडी व पासवर्ड सृजित किये जाने की आवश्यकता होगी तथा उचित समीक्षा हेतु मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त और प्रदेश स्तर पर भी यूजर आईडी व पासवर्ड सृजित कर सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

15– आवेदन प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि 01 माह होगी तथा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त 01 माह के भीतर साक्षात्कार आयोजित होंगे। विशेष परिस्थतियों में इस अवधि को घटाकर 15 दिन भी किया जा सकता है। साक्षात्कार की सूचना प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, तथा एक प्रति संबंधित विकास खण्ड के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी साक्षात्कार हेतु आवेदक को लिखित में साक्षात्कार के समय, स्थान एवं दिनांक से अवगत करायेंगें।

16– साक्षात्कार के उपरान्त चयनित लाभार्थियों के नाम एक कार्यदिवस के भीतर घोषित किये जायेगें, जिनकी सूचना विभागीय वेबसाइट, एन.आई.सी. द्वारा संचालित जनपदीय वेबसाइट तथा जिला विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर अपलोड/चस्पा की जायेगी।

17– साक्षात्कार के उपरान्त चयनित लाभार्थियों की सूची के साथ ब्लॉकवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी यदि चयनित लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभ नहीं प्राप्त करते है, तो प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।

18– चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

19– जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा चयनित सभी परियोजनाओं पर संबंधित बैंक द्वारा एक माह के भीतर लाभार्थी को ऋण की उपलब्धता करना अनिवार्य होगा। योजना की सतत् समीक्षा बी.एल.बी.सी. व डी.एल.आर.सी./डी.सी. सी. स्तर पर प्राथमिकता से की जायेगी।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

20– अन्य किसी योजना यथा मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि अन्तर्गत ऋण प्राप्त लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं होगें।

(9) ऋण वितरण की प्रक्रिया

- लाभार्थी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित लाभार्थी का ऋण आवेदन पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित कर दिया जायेगा उक्त आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के पश्चात संबंधित बैंक द्वारा लाभार्थी को अधिकतम 21 दिनों भें ऋण अथवा ऋण की प्रथम किश्त की धनराशि वितरित करा दी जायेगी। प्रथम किश्त का सदुपयोग करने के पश्चात दूसरी किश्त का मांग पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर बैंक द्वारा सत्यापनोपरान्तं द्वितीय किश्त का भुगतान किया जायेगा।
- योजना हेतु बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के समय–समय पर जारी निर्देशानुसार ही निर्धारित जमानत लाभार्थी से ली जा सकेगी।
- परियोजना की प्रकृति के अनुसार ऋण की किश्त का भुगतान किया जायेगा। ऐसी परियोजना जहॉ आवश्यकता प्रतीत हो वहॉ एकमुश्त ऋण की धनराशि बैंक द्वारा लाभार्थी को वितरित की जा सकती है।
- योजना के संचालन हेतु कोई पद सृजित नहीं किये जायेंगे और न कोई नियमित/तदर्थ/दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्ति की जायेगी। इसके स्थान पर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यय, कार्यालय व्यय, विविध व्यय एवं अन्य व्यय हेतु विभाग को बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना बजट के 05 प्रतिशत तक की धनराशि अनुमन्य होगी।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु वाहनों के क्रय हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।
- योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली परियोजना का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष होगा।
- योजना की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक 4 माह में 1 बार आयोजित की जाएगी एवं आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आयोजित की जा सकती है।

(10) ऋण अदायगी

- अदायगी हेतु ऋण स्थगन काल एक वर्ष का रखा जाएगा। उसके पश्चात ही बैंक द्वारा लाभार्थी से ऋण की वसूली की जाएगी।
- यदि लाभार्थी जानबूझकर ऋण धनराशि का दुरुपयोग करते हैं अथवा इकाई का परियोजनानुसार स्थापना एवं संचालन नहीं होता है, तो ऐसी दशा में बैंकों द्वारा ऋण वसूली इकाई से पूर्ण की जाएगी।
- बैंको द्वारा लाभार्थी को ऋण पासबुक निर्गत की जायेगी। पासबुक में ऋण स्वीकृति की तिथि, ऋण की धनराशि, ब्याज की दर, किश्त की निर्धारित राशि एवं किश्त की देय तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा रोजगार इकाई हेतु बैंक से प्राप्त ऋण राशि की 80 प्रतिशत वसूली होने पर बैंक द्वारा ऐसे लाभार्थी को डिफाल्टर घोषित न किया जाये।

Scanned with CamScanner

- बैंक द्वारा केवल बैंक ऋण पर ही ब्याज की वसूली की जाये। ऋण, अनुदान व लाभार्थी अंश को बैंक ऋण के साथ जोड़कर उस धनराशि पर ब्याज की वसूली न की जाये।

(11) क्रियान्वयन एजेन्सी

- बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तरीय चयन समिति एवं सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुये किया जाएगा।

(12) अवस्थापना

- बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विद्युत, जल, संचार, परिवहन, कच्चे माल के विपणन की व्यवस्था एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता का आंकलन किया जायेगा।
- उपरोक्त समिति सामान्य सुविधा केन्द्रो का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
- उपरोक्त समिति बैंको के माध्यम से वित्त पोषण सुनिश्चित करायेगी।

(13) प्रशिक्षण

- प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार उत्तर प्रदेश स्किल कौशल विकास मिशन या दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी0डी0यू0जी0के0वाई0) या आरसेटी या जनपद द्वारा नामित अन्य संस्था से प्रशिक्षण अभ्यर्थी को दिलाया जायेगा।
- प्रशिक्षण से अभ्यर्थी के जीवन में उद्यमिता का महत्व तथा उद्यम की स्थापना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरक कहानियां एवं मोटीवेशन को शामिल किया जायेगा।

(14) विपणन व्यवस्था

अब तक क्रियान्वित किये गये सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में संभवतः विपणन पर अपेक्षित ध्यान नही दिया गया। फलस्वरूप वांछित उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पायी है। जबकि बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना में विपणन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसे योजना का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के उत्पादों एवं सेवाओं की विपणन व्यवस्था निम्न स्रोतो से सुदृढ़ की गई है:-

1. क्रियान्वयन कराने वाले विभाग/एजेन्सी के अपने परिव्यय के माध्यम से।
2. प्रदेश में कार्यरत निगमों, फेडरेशनों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी व्यवसायी संस्थाओं द्वारा।
4. आवश्यकतानुसार स्वयं लाभार्थियों द्वारा।

क- लक्ष्य निर्धारण

योजनान्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण विभिन्न जनपदों को आयुक्त, ग्राम्य विकास के स्तर से जनपदों में स्थित विकास खण्डों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। जनपद द्वारा विकास खण्ड में लाभार्थियों का लक्ष्य तदनुसार निर्धारित किया जायेगा।

ख- वित्तीय प्रबन्धन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित अवधि में जिला विकास अधिकारी द्वारा जनपद हेतु आंकलन कर बजट की मांग मुख्यालय से किया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर संकलित करते हुए प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति से योजना हेतु बजट का प्राविधान कराया जायेगा। बजट व्यवस्था हो जाने

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

के उपरान्त संबंधित जिले के जिला विकास अधिकारी को बजट आंवटन किया जायेगा, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च अवधि तक व्यय किया जायेगा। इसके आहरण एवं वितरण अधिकारी जिला विकास अधिकारी होगें, जो अपने निर्धारित कोड पर बजट आहरित कर लाभार्थियों के ऋण खाते में धनराशि स्थानान्तरित करते हुए व्यय करेंगे। जिला विकास अधिकारी अपने जनपद के बजट की मांग अगले वित्तीय वर्ष हेतु 31 अक्टूबर तक मुख्यालय में अवश्य प्रेषित करें, जिससे समय से बजट व्यवस्था प्राविधानित की जा सकें।

(15) भूमिका एवं जिम्मेदारियां

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग होगा। जिला विकास अधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा योजना की समीक्षा एवं रिपोर्ट प्रेषण, सुचारू क्रियान्वयन एवं लाभार्थी चयन के लिये उत्तरदायी होंगे। योजना के अन्तर्गत बैंक–ऋण से रोजगार सृजन एवं स्थापित/सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट निर्माण स्वीकृति, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन इत्यादि के लिए दो प्रकार की समितियों का गठन किया गया है:–

1. उच्च स्तरीय टास्क फोर्स

इस टास्क फोर्स में निम्न सदस्य होंगे :–

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास–	अध्यक्ष
निम्न स्वयं या उनके प्रतिनिधि–	
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	उपाध्यक्ष
3. सचिव/विशेष सचिव, वित्त	सदस्य
4. सचिव/विशेष सचिव, नियोजन	सदस्य
5. सचिव/विशेष सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
6. सचिव/विशेष सचिव, पशुधन/मत्स्य	सदस्य
7. सचिव/विशेष सचिव, लघु उद्योग	सदस्य
8. सचिव/विशेष सचिव, रेशम विकास	सदस्य
9. सचिव/विशेष सचिव, दुग्ध विकास	सदस्य
10. सचिव/विशेष सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
11. सचिव/विशेष सचिव, संस्थागत वित्त	सदस्य
12. निदेशक, संस्थागत वित्त	सदस्य
13. निबन्धक, सहकारी समितियां	सदस्य
14. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
15. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
16. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0	सदस्य
17. प्रबन्ध निदेशक, कौशल विकास मिशन	सदस्य
18. राज्य निदेशक, रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट	सदस्य
19. संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त, ग्राम्य विकास(मुख्यालय)	संयोजक सदस्य

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विभाग के अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष को आमंत्रित किया जा सकता है। इस टास्क फोर्स के मुख्य कार्य निम्न होंगे :–

- योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नीति एवं लक्ष्य निर्धारित करना।
- योजना के क्रियान्वयन, नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
- योजना के अन्तर्गत आने वाली कठिनाईयों एंव समन्वय में आवश्यक दिशा निर्देश देना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य अंतर्विभागीय समन्वय करना।
- स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण एवं अनुसरण करना।
- प्रोजेक्ट अनुश्रवण, प्रचार–प्रसार हेतु नीति निर्धारित करना।
- प्रोजेक्ट क्रियान्वयन स्तर पर स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय मदों के अतिरिक्त यदि कोई मद आवश्यक हो तो उसके सम्बन्ध में निर्णय लेना।
- "वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में योजना मद की धनराशि का आवंटन, लक्ष्य, अभ्यर्थी चयन, अनुदान आदि का क्रियान्वयन कराना।"

(16) जिलास्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति

1. जिलाधिकारी –अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी –उपाध्यक्ष
3. जिला विकास अधिकारी –सदस्य सचिव
4. परियोजना से सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तर के अधिकारी –सदस्य
5. नाबार्ड के अधिकारी –सदस्य
6. लीड बैंक के अधिकारी –सदस्य
7. प्रबन्धक, रूरल सेल्फ इम्प्लायमेन्ट ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट –सदस्य
8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र –सदस्य
9. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य
10. अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अन्य –सदस्य

उपरोक्त गठित समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत होगा

- योजना की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।
- स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नये प्रोजेक्ट का चयन एवं निर्माण करना।
- बैंक के अधिकारियों से समन्वय करके बैंकेबिल प्रोजेक्ट बनाना जिससे कि ऋण की उपलब्धता में कठिनाई न हो।
- स्वीकृत योजनाओं का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- योजना का अनुश्रवण करना।
- योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों एवं अवरोधो का निराकरण करना तथा शासन को अवगत कराना।
- योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना।
- योजना के लिए वित्तीय स्वीकृतियों का सही उपयोग कराना।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

- पात्र लाभार्थी का चयन करना एवं योजना में निर्धारित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- योजना के क्रियान्वयन में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज को उपलब्ध कराना।
- प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तारदायित्व का निर्धारण करना।
- परियोजना की लागत के सम्बन्ध में नावार्ड द्वारा निर्धारित लागत को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना।
- विभिन्न विभागों सें प्राप्त परियोजना का परीक्षण एवं विश्लेषण कर स्वीकृत करना तथा सुनिश्चित करना कि लाभार्थी के पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0,लखनऊ।
4– मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम,उ0प्र0 लखनऊ।
5– अपर आयुक्त(मनरेगा), उ0प्र0, लखनऊ।
6– गोपन अनुभाग–1
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner